



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1574 वर्ष 2026

सी राम प्यारे सिंह और 40 अन्य
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	अखिल कुमार श्रीवास्तव, मदन मोहन लाल
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	सीएससी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता की बात सुनी।
- याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव ने याचिकाकर्ता संख्या 21 से 28, 31 से 33, 36, 37 और 41 की ओर से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया है, इस आधार पर कि उन्हें उस न्यायालय में याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाए जिसके पास इस मामले पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है। अतः, याचिकाकर्ता संख्या 21 से 28, 31 से 33, 36, 37 और 41 को उस न्यायालय में याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है जिसके पास इस मामले पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है और उनके लिए याचिका खारिज की जाती है।
- याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सभी याचिकाकर्ता सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल हैं, जिन्होंने 19 वर्षों की संतोषजनक सेवा की है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे उन लाभों के हकदार हैं जो रिट याचिका संख्या 44330/2012 (घनश्याम तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) और उस पर जारी सरकारी आदेशों के तहत याचिकाकर्ताओं को दिए गए थे। उनका निवेदन है कि उन्होंने 19 वर्षों से अधिक की सेवा की है, इसलिए वे दिनांक 02.12.2020 के सरकारी आदेश के अनुसार एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के हकदार हैं।
- अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील ने सिविल विविध रिट याचिका संख्या 44330/2012 (घनश्याम तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 07.09.2012 को पारित निर्णय और इसी प्रकार की याचिका रिट ए संख्या 6429/2018 (दिनेश कुमार शुक्ला और 14 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य) पर दिनांक 22.02.2018 को दिए गए निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं जताई। दिनांक 22.02.2018 के आदेश को इस न्यायालय के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत अंतरा-न्यायालय अपील में चुनौती दी गई थी और इस पर दिनांक 07.09.2016 के निर्णय और आदेश द्वारा निर्णय लिया गया था, जिसमें याचिकाकर्ताओं के दावे को सिविल विविध याचिका में दिनांक 07.09.2012 को पारित निर्णय और आदेश के अनुसरण में उचित ठहराया गया था। रिट याचिका संख्या 44330 वर्ष 2012 (घनश्याम तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य)।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. उपरोक्त के मद्देनजर, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 2, वित्त नियंत्रक/सीएओयूपी पुलिस मुख्यालय, लखनऊ को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उचित निर्णय लें।

4 फरवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"